रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072023-247267
CG-DL-E-13072023-247267

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 401] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 12, 2023/आषाढ़ 21, 1945
No. 401] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 12, 2023/ASHADHA 21, 1945

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जुलाई, 2023

सा.का.नि. 500(अ).—केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 6, धारा 8 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 में और संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध और सीमापार संचलन) नियम, 2016 (इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) की अनुसूची ।।। में, भाग घ में, स्तंभ (2) में बेसल संख्या बी 1110, के सामने, ''प्रयुक्त वैद्युत और इलैक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात मरम्मत के लिए और मरम्मत के बाद आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो ***'' शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"मरम्मत या नवीकरण के लिए आयातित प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रोनिक एसैम्बलीज और आयात के एक वर्ष के भीतर ओईएम को या विनिर्माण करने वाले देश में किसी अन्य कंपनी को या किसी अन्य देश में किसी अन्य कंपनी को मरम्मत या नवीकरण पश्चात् पुन: निर्यात किए जाने के लिए***;

परंतु यह कि मरम्मत न किए जाने योग्य प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रोनिक एसैम्बलीज का 5%, वजन के आधार पर, देश में रखा जा सकता है और उसे इन नियमों तथा ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियमों, 2022 के अनुसार केवल प्राधिकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं को भेजा जाएगा।"

3. उक्त नियमों की अनुसूची VIII में, बेसल संख्या बी 1110 से संबंधित क्रम संख्यांक 4 के सामने -

(क) स्तंभ (3) में, "प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रोनिक एसैम्बलीज जिनका आयात के लिए और मरम्मत के बाद आयात के एक वर्ष के अंदर वापस निर्यात के लिए किया गया हो" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:-

"मरम्मत या नवीकरण के लिए आयातित प्रयुक्त वैद्युत और इलेक्ट्रोनिक एसैम्बलीज और आयात के एक वर्ष के भीतर ओईएम को या विनिर्माण करने वाले देश में किसी अन्य कंपनी को या किसी अन्य देश में किसी अन्य कंपनी को मरम्मत या नवीकरण पश्चात् पुन: निर्यात किए जाने के लिए।"

(ख) स्तंभ (4) में, मद (ड.) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

"(ई) मरम्मत किए गए और मरम्मत न किए जाने योग्य वैद्युत और इलेक्ट्रोनिक एसैम्बलीज तथा पुन: निर्यात किए जा रहे कलपुर्जों या अंग या घटक या उपभोज्य वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए निर्यात करने वाली कंपनी से प्रमाण-पत्र या मरम्मत किए गए और मरम्मत न किए जाने योग्य वैद्युत और इलेक्ट्रोनिक एसैम्बलीज तथा पुन: निर्यात किए जा रहे कलपुर्जे या अंग या घटक या उपभोज्य वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए विनिर्माण करने वाले देश में किसी अन्य कंपनी से या किसी अन्य देश में किसी अन्य कंपनी से प्रमाण-पत्र।"

[फा. सं. 23/151/2022-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

टिप्पण- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) संख्यांक सा.का.नि. 395(अ), तारीख 4 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 670(अ), तारीख 6 जुलाई, 2016; सा.का.नि. 177(अ), तारीख 28 फरवरी, 2017; सा.का.नि. 544(अ), तारीख 11 जून, 2018; सा.का.नि. 178(अ), तारीख 1 मार्च, 2019; सा.का.नि. 641(अ), तारीख 9 अक्तूबर, 2020; सा.का.नि. 47(अ), तारीख 27 जनवरी, 2021; सा.का.नि. 798(अ), तारीख 12 नवंबर, 2021; सा.का.नि. 593(अ), तारीख 21 जुलाई, 2022 और सा.का.नि. 900(अ), तारीख 23 दिसंबर, 2022 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th July, 2023

G.S.R. 500(E).—In exercise of the powers conferred by sections 6, 8 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016, namely: -

1. (1) These rules may be called Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Amendment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 (hereinafter in this notification referred to as the said rules) in Schedule III, in Part D, against Basel No. B1110, in column (2), for the words "Used electrical and electronic assemblies imported for repair and to be re-exported back after repair within one year of import ***", the following shall be substituted, namely: -

"Used electrical and electronic assemblies imported for repair or refurbishment and to be re-exported after repair or refurbishment to OEMs or any other company in the country of origin or any other company in any other country within one year of import ***;

Provided that 5% of unrepairable used electrical and electronic assemblies, by weight, may be retained in the country and the same shall be sent to authorised recyclers only in accordance with these rules and the E-Waste (Management) Rules, 2022.".

3. In Schedule VIII to the said rules, against serial number 4 related to Basel No. B1110, -

(a) in column (3), for the words "Used electrical and electronic assemblies imported for repair and to be re-exported after repair within one year of import", the following shall be substituted, namely: -

"Used electrical and electronic assemblies imported for repair or refurbishment and to be re-exported after repair or refurbishment to OEMs or any other company in the country of origin or any other company in any other country within one year of import.'';

(b) in column (4), for item (e) and entries relating thereto the following item and entries shall be substituted, namely: -

"(e) Certificate from exporting company for accepting the repaired and unrepairable electrical and electronic assemblies and the spares or part or component or consumables being re-exported or certificate from any other company in the country of origin or any other company in any other country for accepting the repaired and unrepairable electrical and electronic assemblies and the spares or part or component or consumables being re-exported.".

[F. No. 23/151/2022-HSM]

NARESH PAL GANGWAR, Addl. Secy.

Note. - The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), *vide* number G.S.R. 395(E), dated the 4th April, 2016 and subsequently amended *vide* numbers G.S.R. 670(E), dated the 6th July, 2016; G.S.R. 177(E), dated the 28th February, 2017; G.S.R. 544(E), dated the 11th June, 2018; G.S.R. 178(E), dated the 1st March, 2019; G.S.R. 641(E), dated the 9th October, 2020; G.S.R. 47(E), dated the 27th January, 2021; G.S.R. 798(E), dated the 12th November, 2021; G.S.R. 593(E), dated the 21st July, 2022 and G.S.R. 900(E), dated the 23rd December, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA